मुक्तस्वाध्यायपीठम्
(Institute of Open and Distance Education)
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
अभिकल्प समिति का द्वितीय उपवेशन

मुक्तस्वाध्यायपीठम् की अभिकल्प समिति का द्वितीय (14वां) उपवेशन दिनांक 8/2/2024 को विश्वविद्यालय के मुख्यालय में सारस्वत सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें अधोनिर्दिष्ट सदस्य उपस्थित हुए :-

1.	**आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी, कुलपति** केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	**अध्यक्ष**
2.	**आचार्य फतेह सिंह** वरिष्ठ प्रोफेसर (शिक्षा शास्त्र) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुरपरिसर	**सदस्य**
3.	**आचार्य रमाकान्त पाण्डेय** अधिष्ठाता (भाषा, साहित्य एवं संस्कृति विद्यास्थान) भोपालपरिसर	**सदस्य**
4.	**डॉ. मनोज कुमार नागसंपिगे** निदेशक ऑनलाइन शिक्षा निदेशालय मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (MAHE), मणिपाल	**सदस्य**
5.	**श्रीमान् कू. वेङ्कटेश मूर्ति** वरिष्ठ संकाय, मुक्तस्वाध्यायपीठम्, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	**सदस्य**
6.	**आचार्य रा.गा. मुरलीकृष्ण** कुलसचिव (प्र.) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	**सदस्य**
7.	**आचार्य पवनकुमार** परीक्षानियंत्रक / वित्ताधिकारी (प्र.) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	**सदस्य**
8.	**आचार्य रत्नमोहन झा** निदेशक, मुक्तस्वाध्यायपीठम् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	**सदस्य सचिव**

8/2/2024.

समिति के सदस्य अपरिहार्य कारण से अनुपस्थित रहे। उपवेशन में चर्चित विषय एवं स्वीकृत निर्णय/समिति की टिप्पणी इस प्रकार है –

बिन्दु क्रमांक	कार्यसूची/निर्णय
1.	**पूर्व आयोजित (13वीं) अभिकल्प समिति की बैठक दिनांक 08.02.2022 को सम्पन्न हुई। अभिकल्प समिति की बैठक की सम्पुष्टि।** (समिति का कार्यवृत्त (Minutes) अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। (संलग्नक-'A')
निर्णय	अवलोकित।
2.	**कार्यवृत्त (Minutes) पर की गई कार्यवाही (Action taken Report) से सम्बंधित विवरण ।क्रमशः अवलोकनार्थ एवं सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।** (संलग्नक-'B')
निर्णय	अवलोकित। अंशतः संपादित कार्यों की पूर्णता हेतु प्रयास किया जाय ।
3.	**शैक्षणिक सत्र 2023-2024 में उद्घोषित Online पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रविष्ट छात्र विवरण एवं कक्षा आरम्भ से संबधित प्रतिवेदन।** ज्ञातव्य है कि दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कर शैक्षणिक सत्र 2023-2024 में Online माध्यम से प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्राक्शास्त्री (02 Years), शास्त्री (03 Years) तथा आचार्य (02 Years) पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिनांक 20 नवम्बर, 2023 तक सम्पन्न हुआ । विवरण संलग्न है। (संलग्नक-'C')
निर्णय	समिति ने CIQA-प्रतिवेदन (संलग्नक -I) का अनुमोदन किया जिसमें - प्रवेशप्रक्रिया एवं प्रवेशोत्तर-क्रियाकलापों में प्रगति, छात्रसंख्या-विषयक विश्लेषण, प्राप्त-शुल्कविवरण, अध्यापनप्रणाली के विकास से संबद्ध कार्यों में प्रगति, कार्यशाला, संगोष्ठी आदि के आयोजन का प्रतिवेदन, कक्ष्या संचालन हेतु वर्तमान व्यवस्था, सम्प्रति कार्यरत सदस्यों के अतिरिक्त अपेक्षित मानवसंसाधनसम्बद्ध प्रस्ताव, आवश्यक विकासविषयक प्रस्ताव आदि सम्मिलित है ।
4.	**NEP, 2020 के अनुसार प्राक्शास्त्री, शास्त्री तथा आचार्य पाठ्यक्रम की सज्जता।** इन पाठ्यक्रमों का पाठ्यविवरण/पाठ्यचर्या को विश्वविद्यालय की नियत पाठ्यप्रणाली के अनुरूप / NEP, 2020 के अनुसार पुनर्व्यवस्थापित किया गया है, जो वि.वि. के विद्यापरिषद् में पारित है। इसी के आधार पर पाठ्यक्रम विवरणिका निर्मित है। वर्तमान शैक्षिकसत्र में इसी का अनुपालन किया जा रहा है।
निर्णय	अवलोकित।
5.	**कार्यशाला, संगोष्ठी आदि के आयोजन पर विचार।** कार्ययोजना के अनुसार -

8/2/2024

	• दर्शनशास्त्र, नैतिकशिक्षण, वास्तुशास्त्र, पत्रकारिता आदि से संबंधित स्वाध्यायसामग्री निर्माण/परिष्करण कार्यशाला • अध्यापक/कर्मचारी प्रशिक्षण-कार्यशाला • संस्कृत / शास्त्र / भारतीय ज्ञान-विज्ञान परम्परा से सम्बद्ध-स्वाध्यायसामग्रियों के निर्माण हेतु दूरस्थशिक्षा-विषयक संगोष्ठियाँ। कार्य हित में, उचित संदर्भों में दैनिक गतिविधियों को भी दृष्टि में रखते हुए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में – आगामी मार्च्-मास के उत्तरार्ध में मणिपाल में 'मणिपाल-उच्चशिक्षा-अकादमी' के सहयोग से मु.स्वा.पीठ के शैक्षिकसदस्यों के लिए साप्ताहिक प्रशिक्षण-कार्यशाला (Faculty Development Programme) का आयोजन की संकल्पना है। छात्रों की क्षमता वर्धन हेतु स्वाध्यायवेदी के माध्यम से अध्यापक साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक संगोष्ठियों का आयोजन (विद्याशाखाशः/अंतर्विद्याशाखाशः) करेंगे। तथा अध्यापकों की विषयगत-क्षमता वर्धन हेतु मासिक संगोष्ठियों का आयोजन (विद्याशाखाशः/अंतर्विभाद्याशाखाशः) करेंगे। इन संगोष्ठियों में औचित्य के अनुसार बाह्य विद्वानों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अनुकूल समय में मूलकार्य के अविरोध में अध्यापकों के/विभाग के विकास को दृष्टि में रखते हुए अन्यत्र आयोजित समुचित कार्यक्रमों में भागग्रहण हेतु भी शैक्षिकसदस्यों को अनुमति दी जा सकती है।
निर्णय	प्रस्ताव स्वीकृत। समिति ने यह भी परामर्श दिया कि - सम्प्रति मुक्तस्वाध्यायपीठ में प्रवर्तमान एवं प्रवर्तनीय सत्र के उपलक्ष्य में आकर्षक-स्वाध्याय सामग्रियों का सम्पादन/निर्माण, पाठलेखन, मुक्तस्वाध्यायपीठीय-छात्रपरिसंवाद/संगोष्ठी इत्यादि कार्यों की अधिकता है। अतः इस प्रारंभिक अवस्था में सभी शैक्षिक सदस्य बाह्य कार्यक्रमों में भागग्रहण की अपेक्षा मुक्तस्वाध्यायपीठ के द्वारा आयोजित स्वाध्यायसामग्री-केन्द्रित-संगोष्ठी, परिसंवाद, अध्यापक-संगोष्ठी, पाठप्रवचन, लेखन आदि का आयोजन/भागग्रहण हेतु अधिक तत्पर रहें जिससे स्वाध्यायसामग्री के विकास के साथ शैक्षिक सदस्यों का विकास, छात्र-विकास एवं संस्था-विकास भी शीघ्र हो पाएगा। अन्ताराष्ट्रिय स्तर की स्वाध्यायसामग्री एवं अन्य व्यवस्थाएँ शीघ्र ही सिद्ध हो पाएंगी।
6.	**नूतन पाठ्यक्रम हेतु स्वाध्यायसामग्री निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार।** स्तोत्रसाहित्य, पुराण, भगवद्गीता, भागवत, रामायण, वेदान्त तथा भारतीयसंस्कृति इत्यादि विषयों में स्वाध्यायसामग्री सङ्कलित/ विकसित करने हेतु प्रक्रिया का प्रारम्भ।
निर्णय	प्रस्ताव स्वीकृत। a. उपर्युक्त विषयों में एकैकशः सामग्री विकसित की जाय, जिसके प्रथम चरण में किसी विषय में **श्रवण-पाठ्यक्रम** सञ्चालित कर "प्रवचनमालिका" के माध्यम से अध्येताओं का उद्बोधन करने की अनुशंसा की गई। इस कार्यक्रम की सफलता हेतु तत्तद् विषय में

8/2/2024

	निष्णात बाह्य विशेषज्ञों का सहयोग भी आवश्यकतानुसार लिया जा सकता है । b. कुछ विषयों में स्वाध्यायसामग्री का निर्माण या निर्मित सामग्री के विकास कार्य में संस्कृत-संवर्धन-प्रतिष्ठान, संस्कृतभारती एवं मणिपाल-उच्चाध्ययनसंस्था का सहयोग लिया जा सकता है । इस संबन्ध में आवश्यकतानुसार कार्यशालाएँ आयोजित की जा सकती हैं ।
7.	**पालि विषय में B.A तथा M.A पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु डॉ. रामनन्दन सिंह द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार।** (संलग्नक-'D')
निर्णय	पालि में B.A तथा M.A पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के सन्दर्भ में समिति ने प्राकृत विषय पर भी विचार किया। दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के नियमानुसार किसी पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रियाँ आवश्यक होती हैं। अतः इनके निर्माणार्थ पालि विषय के लिए पालि अध्ययन केन्द्र, लखनऊ परिसर तथा प्राकृत विषय के लिए प्राकृत अध्ययन केन्द्र, जयपुर परिसर को दायित्व दिए जाने का निर्णय लिया गया। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री तैयार होने के पश्चात् संचालन के विषय में पुनः विचार किए जाने की अनुशंसा समिति के द्वारा की गई।
8	**शैक्षिक सत्र 2024-2025 से संबद्ध कार्यों पर विचार।** उपर्युक्त सत्र से सम्बन्धित विज्ञापन, नामांकन, स्वाध्यायसामग्रियों का मुद्रण तथा समयसारिणी इत्यादि के विषय में विचार ।
निर्णय	स्वीकृत। उक्तविषयों को समिति ने संज्ञान में लिया तदनुसार सिद्धता करने हेतु निर्णय लिया गया। a. 30 एप्रिल् तक नूतन सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया (Online) की सिद्धता की जाय। b. प्रवेश पटल सर्वदा खुला रहेगा। प्रवेश-परामर्श तथा प्रवेश-निश्चय की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी। किन्तु सत्रारम्भ निर्धारित समय पर (जुलै/जनवरी) होगा। c. केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राक्-शास्त्री, शास्त्री, शिक्षाशास्त्री तथा आचार्य पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को मु.स्वा.पीठ के पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुल्क में 50 % छूट दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। d. नामाङ्कन के समय सम्पूर्ण प्रवेश-शुल्क देने में असमर्थ छात्रों के लिए पाठ्यक्रमसंयोजक के परामर्शानुसार एकाधिक किश्तों में शुल्क देने का प्रावधान किया जा सकता है। e. शैक्षिक सत्र 2023-2024 तथा 2024-25 के लिए मु.स्वा.पीठ द्वारा निर्मित समय-सारिणी (संलग्नक-II) के अनुसार अग्रिम कार्यों का सम्पादन किया जा सकता है।
9	**देश-विदेश के अन्यान्य संस्थाओं में मुक्तस्वाध्यायपीठम् के Online पाठ्यक्रमों का व्यापक प्रचार करने पर विचार।** • के.सं.वि.वि. के परिसरों एवं सम्बद्ध संस्थाओं में अध्ययनरत / कार्यरत अभ्यर्थियों को online-स्वाध्याय-प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु अभिप्रेरणात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।

3/2/2024

	• इसी प्रकार देश-विदेश की अन्यान्य संस्थाओं में भी व्यापक प्रचार हेतु आकर्षक उपायों का चिन्तन अपेक्षित है।
निर्णय	उक्त प्रस्ताव स्वीकृत। इस के साथ समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि - • युरोप, अमेरिका, यू.ए.ई, मारिशस, इटली, नेपाल, चीन, भूटान, तथा श्रीलंका इत्यादि देशों में विशेष प्रचार किया जाना है। इस दृष्टि से इन देशों में माननीय कुलपति महोदय (के.सं.वि) का प्रवास होगा। माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से आवश्यकतानुसार मुक्तस्वाध्यायपीठम् के निदेशक/ संयुक्तनिदेशक का भी विदेश-प्रवास होगा। प्रचार प्रसार हेतु संस्कृत भारती / उन देशों में रह रहे मु.स्वा.पीठ के पूर्व विद्यार्थी या समुचित अन्य व्यक्तियों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। • नेपाल, चीन, भूटान, तथा श्रीलंका के अध्येताओं को प्रोत्साहित करने हेतु आचार्य काशीनाथ न्यौपाने एवं इटली के अध्येताओं को प्रोत्साहित करने के लिए श्री सुदीप्त मुंशी का सहयोग लिया जा सकता है। • वैदेशिक विश्वविद्यालयों में मु.स्वा.पीठीय पाठ्यक्रमों के प्रचार हेतु स्थानीय-संयोजक के रूप में वहाँ के किसी विश्वविद्यालयीय सदस्य का सहयोग लिया जा सकता है। उनका प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु उन्हें एक बार भारत में शैक्षिक प्रवास का अवसर दिया जा सकता है। • विदेश में जिन जिन विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाया जाता है, उन की सूची बनाकर प्रवेश हेतु विशेष प्रचार-प्रसार किया जाए। इस संबंध में विश्वविद्यालय के अन्ताराष्ट्रीय व्यवहार के संयोजक डा. नितीन जैन का सहयोग लिया जा सकता है। • अध्येताओं को प्रोत्साहित करने हेतु उन उन देशों में रह रहे अधोनिर्दिष्ट व्यक्तियों / मु.स्वा.पीठ के छात्रों / पूर्व छात्रों को प्रशिक्षित कर अपेक्षित प्रचारसामग्रियाँ भेजी जा सकती हैं - ➢ **अमेरिका में** - मनीष गोदरा (केलिफोर्निया), वेङ्कटरामैय्य-रविशङ्करः (अमेरिका /शिकागो), ➢ **सिङ्गापुर में** - आनन्दी वेङ्कटपति, अर्जुन ➢ **जर्मनी** में – त्रिविक्रम ➢ **अरब (यू.ए.ई) देशों में** – बालसुब्रह्मण्यः, उदिता, मीना
10.	**मुक्तस्वाध्यायपीठ के मुख्यालय तथा शैक्षिक विकास केन्द्र, शृङ्गेरी में कार्यरत प्राध्यापकों के कार्यकाल वृद्धि हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचार।** मुक्तस्वाध्यायपीठम् मुख्यालय तथा शैक्षिक विकास केन्द्र, शृङ्गेरी में कार्यरत प्राध्यापकों / शैक्षिक सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 31/03/2024 तक है। वर्तमान सत्र एवं मुक्तस्वाध्यायपीठम् के समस्त कार्यों के अनुवर्तन हेतु इन सदस्यों के कार्यकाल की वृद्धि की जा सकती है। मु.स्वा.पीठ के पाठ्यक्रमों में बोधनीय विषयों की विपुलता, स्वाध्यायसामग्रियों के विकास तथा संबद्ध कार्यों के अधिकता आदि को दृष्टि में रखते हुए संप्रति कार्यरत सदस्यों के अतिरिक्त

8/2/2024

	आवश्यक मानवसंसाधन की पूर्ति की भी आवश्यकता है।
निर्णय	प्रस्ताव स्वीकृत। 1. मुक्तस्वाध्यायपीठ के कार्यों के सतत अनुवर्तन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मु.स्वा.पीठ में कार्यरत प्राध्यापकों / शैक्षिकसदस्यों का उनकी कार्यक्षमता एवं कर्तव्यपरायणता के आधार पर आगामी 10 अप्रैल 2024 से 07 मार्च 2025 तक के लिए तत्तद्विषयों में पुनर्नियोजन किया जा सकता है। 2. मुक्तस्वाध्यायपीठम् के शैक्षिक विकास केन्द्र, श्रृंगेरी में कार्यरत अतिथि अध्यापकों के विशेष योगदान एवं उनकी कार्यक्षमता/कर्तव्यपरायणता के आधार पर उनका पुनर्नियोजन संविदाधारित सहायकाचार्य के रूप में किया जा सकता है। 3. विविध पाठ्यक्रमों में बोधनीय विषयों के सामग्री-निर्माण-सहयोग, शैक्षिक-परामर्श, छात्रसहयोग एवं स्वाध्यायसामग्रियों के विकास की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए विद्यमान शैक्षिकसदस्यों तथा तकनीकी सदस्यों के अतिरिक्त नूतन शैक्षिकसदस्यों, तकनीकी सदस्यों एवं कार्यालयीय सदस्यों (संलग्नक-III) का संविदाधारित/अतिथि रूप में नियोजन किया जा सकता है। 4. मु.स्वा.पीठ के **'सूचना एवं सहायता-केंद्र'** को प्रारम्भ किया जाना है। उसके सुचारु सञ्चालनार्थ दो जनसम्पर्क अधिकारियों की संविदाधारित नियुक्ति की जा सकती है। 5. शै.वि.केन्द्र में समुचित अध्यापन प्रकोष्ठों का (sound proof teaching cabins) निर्माण तथा ICT उपकरण, तंत्रांश, server आदि की व्यवस्था हेतु स्वीकृति दी जाती है। 6. मु.स्वा.पीठ के समस्त क्रियाकलाप **तंत्रांशाधारित, विश्वस्तरीय, विश्वसनीय, सुललित** (user friendly) **एवं आकर्षक** बनाने हेतु आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र CIQA) के 8-2-2024 दिनाङ्क को आयोजित उपवेशन के प्रतिवेदन में उपस्थापित प्रस्तावों को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाय ।
11.	**मुक्तस्वाध्यायपीठम् (Institute of Open and Distance Education) के लिए बजट निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव।** मुक्तस्वाध्यायपीठ के मुख्यालय तथा शैक्षिक विकास केन्द्र, श्रृङ्गेरी में नित्य एवं नैमित्तिक व्यय हेतु बजट निर्धारण पर विचार हेतु प्रस्ताव।
निर्णय	प्रस्ताव स्वीकृत। • पंच वार्षिक योजना के अनुसार एवं परिवर्धित-आवश्यकता/मूल्यवृद्धि आदि को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीयवर्ष 2024-2025 में अपेक्षित आर्थिक प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाय । • अग्रिम वित्तीयवर्ष (2024-2025) से मु.स्वा.पी. की मासिक आर्थिक मांग प्रस्तुत करने

8/2/2024

	की संस्तुति की गई । • मु.स्वा.पीठ का आय-व्यय तथा लेखा-व्यवहार आदि वित्तीय कार्यों के सुचारु सञ्चालन हेतु वित्तीय-सहायक / Accountant को नियुक्त करने की अनुशंसा की गयी । • शैक्षिकविकास केन्द्र के लिए पृथक् खाता खोलने की अनुशंसा की गयी ।
12.	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार कर स्वीकृति प्रदान किया गया।**
	1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा वर्तमान में स्नातक स्तर के तीन तथा स्नातकोत्तर स्तर के 10 आंतर्जालिक पाठयक्रमों को चलाने के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित है । के.सं.वि. को इस सीमा में छूट प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 2. मुक्तस्वाध्यायपीठम् द्वारा संचालित पाठ्क्रमों में प्रविष्ट अध्येता अपना नामाङ्कन निरस्त करने के लिए तीन महीने के अंदर आवेदन कर सकता है । तदनुसार प्रक्रिया-शुल्क (Processing Fees) के अतिरिक्त शेष राशि को वापस किया जा सकता है । 3. मु.स्वा.पीठ के पाठ्यक्रमों में विभिन्न वृत्तियों में संलग्न, अन्यत्र अध्ययनरत, जीविका-उपार्जन के साथ अध्ययन करने के इच्छुक तथा विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे छात्र प्रवेश लेते हैं । के.सं.वि. के सामान्य कार्यालयीय कार्यकाल (9.30 am - 6.00 pm) में 'आन्तर्जालिक-कक्ष्या का आयोजन उपर्युक्त प्रकार के छात्रों के लिए अनुकूल नहीं होता है । उपर्युक्त कार्यकाल से पूर्व या पश्चात् [अति-प्रातः (उषःकाल), देर-शाम, शनि/रविवार को] आन्तर्जालिक-कक्ष्या का आयोजन आवश्यक है । अतः मुक्तस्वाध्यायपीठ की कार्य-प्रकृति के अनुसार मु.स्वा.पीठ के सदस्यों का कार्यालयीय-कार्यकाल एवं विराम काल का निर्धारण किया जा सकता है । (संलग्नक -IV) 4. संसद के द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त होने के बाद प्रायः सभी समितियों की बैठक की क्रमसंख्या 01 से प्रारम्भ की गई है। अतः पूर्व में सम्पन्न अभिकल्प समिति की तेरहवीं बैठक की क्रम संख्या प्रथम तथा दिनांक 08.02.2024 को आयोजित अभिकल्प समिति की बैठक की क्रम संख्या द्वितीय होगी। 08.02.2024 को पूर्वाह्न में आयोजित आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र की बैठक की क्रम संख्या प्रथम होगी। इसी प्रकार आगे अनुवर्तन किया जाएगा।

धन्यवाद-ज्ञापन एवं शान्ति मंत्र के साथ उपवेशन संपन्न हुआ।

8/2/2024

(प्रो. रत्नमोहन झा)
सदस्य सचिव

10/2/24

(प्रो. श्रीनिवास वरखेडी, कुलपति)
अध्यक्ष

♦♦♦